

दिनांक - 13/03/17

संख्या - 22-6-17

1-3-17 पत्रावली पेश हुई। वकील शर्मा  
अनुग विपत्ती 100। की ओर से  
अधिवक्ता श्री सुभाष आचार्य द्वारा  
वकील नामा भूतवाद से प्रत्युत्तर  
करते हुए प्रत्युत्तर की अधिवक्ता  
प्रति दिखवाये जाने वाला निवेदन  
किया। पत्रावली वाले जवाब प्रत्युत्तर  
है कि 13/03/17 को पेश हो।

13-3-17

पत्रावली पेश हुई, समय पक्ष उपास्थित  
आसीन अधिकारी का स्थानान्तरण/दोनों  
में पधारे हैं/अन्य राजकार्य में व्यस्त है। अतः  
पत्रावली साबिक भाग में दिनांक 22-6-17  
को पेश हो

आदेश  
रीडर

सब डिविजन ऑफिसर

28/06/17

पत्रावली आज राजस्व लेख अदालत के मध्य प्रत्युत्तर  
आसोदिना में पेश हुई। वकील शर्मा व  
शर्मा उपास्थित। विपक्ष/गण अनुपास्थित।  
शर्मा द्वारा राजस्व अधिवक्ता पर  
रेकर्ड एवं फाईल कि प्रमाप्ति अगले रखने  
का अतः अधिवक्ता विवेचना के मूल वक्त के  
विस्तारण तक पाठ्य किने पले भी प्रत्युत्तर  
की। प्रत्युत्तर का फाईल पर परिष्कार किया  
गया। अंकी मूल वक्त के विस्तारण के अंत  
लगात स्वतंत्रिक है एवं सुविधा अनुगत की  
होती है की प्रत्युत्तर शर्मा के पक्ष में प्रत्युत्तर  
होता है।

अतः आदेशिका दिनांक 11/03/16 के  
पक्षी अन्तर्गत अधिवक्ता विवेचना के

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत 200 मुकाम बरेली  
 बनाव शिवदत्त  
 नं. 69 सन् 15  
 मुकदमा 212

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
----------------	------------------------------------	--

	<p>मूलवाद के विस्तारों तक कॉन्सिडर डिने                  जाने के आदेश पारित किने जाते हैं                  प्रजावली नं. 2 के अन्तर्गत जाकर                  फेराल शुगर है। प्रकरण मूल वाद के                  साथ नली रहे।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p>	<p><i>[Signature]</i></p>
--	--	---------------------------